जनसत्ता पेज 4
11.10.13

व्यापारियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा

चुनाव आयुक्त विजय देव ने दिया भरोसा

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव संपन्न होने तक किसी भी व्यक्ति के पचास हजार रुपए से अधिक की नकद राशि ले चलने पर पाबंदी के निर्देश को लेकर कान्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव से बुधवार की शाम उनके कार्यालय में मिला। इस निर्देश के कारण न केवल व्यापारियों बल्कि आम जनता को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन भी दिया। कैट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के साथ केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील गोयल, ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर लाल अग्रवाल शामिल थे।

व्यापारी नेताओं की बातों और इस निर्देश के कारण दिल्ली के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव व सुरक्षा संबंधी चिंताओं से पूर्ण सहमति जताते हुए विजय देव ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया की इस निर्देश के कारण किसी भी सूरत में किसी भी व्यापारी अथवा आम नागरिक को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी अधिकारी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा की आयोग चुनावों में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहता है ताकि दिल्ली में चुनाव बेहद निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों, इस दृष्टि से आयोग प्रत्येक अधिकारी को स्पष्ट आदेश देगा की जांच करते समय निम्न बातों का अनिवार्य रूप से पालन हो।

जांच के लिए केवल उसी व्यक्ति को रोका जाएगा जिसके संबंध में अधिकारियों को पुख्ता जानकारी होगी कि उसके पास बड़ी मात्रा में धन है जिसका उपयोग चुनाव के लिए होने जा रहा है। ज़िस व्यक्ति से पूछताछ होगी उसकी विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से होगी और वीडियोग्राफी में निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को रोकने से लेकर उसको छोड़ने के समय को विशेष रूप से अंकित किया जाएगा। इस संबंध में यदि आयोग को कोई भी शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारी से सबसे पहले उस सूचना की जवाबतलबी होगी जिसके कारण किसी व्यक्ति को रोका गया और संतुष्ट उत्तर न मिल पाने की अवस्था में ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाएगा।

आयोग जल्द ही दिल्ली के नौ जिलों और चुनाव आयोग के कार्यालय में एक एक नोडल ऑफिसर की घोषणा करेगा और यदि किसी भी व्यक्ति को नाजायज परेशान किया जाता है तो तुरंत नोडल ऑफिसर को व्यापारी नेता शिकायत कर सकते हैं और नोडल ऑफिसर ऐसी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। व्यापारी नेताओं द्वारा 50 हजार की राशि को पांच लाख किए जाने के मुद्दे पर विजय देव ने कहा की यह मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है लिहाजा इस संबंध में कैट को केंद्रीय चुनाव आयोग से ही बात करनी होगी लेकिन वे भी अपने स्तर पर इस विषय पर अवश्य विचार करेंगे।

दिल्ली में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए दिल्ली के व्यापारिक संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए विजय देव ने कहा कि इस संबंध में कैट दिल्ली के व्यापारिक संगठनों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाए और ऐसे किसी भी अभियान को आयोग अपना पूरा समर्थन देगा। प्रवीन खंडेलवाल ने बताया की बहुत जल्द कैट दिल्ली में वोट मस्ट कैंपेन (वोट अवश्य अभियान) चलाएगा और इसके लिए एक एजंसी द्वारा एक विशेष अभियान की रूप रेखा तैयार की जा रही है।